www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-8* *August 2025***

सामाजिक मानदंड महिलाओं की स्थिति और प्रतिस्पर्धा में लैंगिक अन्तरः बिहार के ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव

शीलु कुमारी

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, बी. एन. एम. यू., मधेपुरा

सारांशः भारत में लैंगिक असमानता एक दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौती रही है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और निर्णय–निर्माण की प्रक्रियाओं में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिल पाए। यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् और विशेषकर संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण, शिक्षा के प्रसार तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर असमानता विभिन्न रूपों में विद्यमान। वेतन असमानता, बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, महिला स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ और रोजगार में असमान भागीदारी जैसे मुद्दे आज भी गंभीर हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता के विरुद्ध शिक्षा, जागरूकता, विधिक सशक्तिकरण और तकनीकी सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही, महिला उद्यमिता, नेतृत्व और डिजिटल मंचों पर बढ़ती उपस्थिति भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करती है। अतः भारत में लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, नीतिगत प्रतिबद्धता तथा सतत प्रयास आवश्यक हैं।

कुँजीः ऐतिहासिक, राजनीति, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य।

प्रस्तावनाः मानव विकास संस्थान (आईएचडी), श्रम बाजार, आजीविका और मानव विकास पर अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना है जो समावेशी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है और उसका सम्मान करता है, जो गरीबी और अभावों से मुक्त हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह विश्लेषणात्मक और नीतिगत अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण, अकादमिक और नीतिगत बहसों, अन्य संस्थानों और हितधारकों के साथ नेटवर्किंग और अपनी गतिविधियों के परिणामों के प्रकाशन और प्रसार में संलग्न है। आईएचडी के वर्तमान कार्य के प्रमुख विषय हैं : गरीबी, असमानता और कल्याणय श्रम बाजार और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं और बच्चेय हाशिए पर स्थित सामाजिक और आर्थिक समूह और पिछड़े क्षेत्रय और मानव विकास के लिए शासन और संस्थान। यह मोनोग्राफ समय के साथ कार्य और लैंगिक संबंधों के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की प्रकृति और सीमा का पता लगाता है, इसके लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर जानकारी जुटाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण बिहार में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में संक्रमण देखा जा रहा है या नहीं । उत्तर और दक्षिण बिहार के 9 जिलों के 14 चयनित गांवों में महिलाओं के 106 समूहों के सर्वेक्षण पर आधारित एक गुणात्मक अध्ययन में, महिलाओं के जीवन से संबंधित व्यापक आयामों का अध्ययन किया गया है, जिनमें उनके काम, बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच, महिलाओं और बच्चों पर पुरुष प्रवासन का प्रभाव और सार्वजनिक नीतियों का प्रभाव शामिल है।

लैंगिक समानता पर सिद्धांत और व्यवहार की दो धाराएँ आपस में घुलमिलने लगी हैं। पहली धारा सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए किए गए कार्यों से संबंधित है, विशेष रूप से सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययनों

से उत्पन्न सिद्धांतों के उपयोग से। दूसरी धारा लैंगिक मानदंडों पर किए गए कार्यों से संबंधित है, जो ऐतिहासिक रूप से लैंगिक असमानता का मुकाबला करने के लिए काम करने वाले नारीवादी विद्वानों द्वारा विकसित किए गए हैं। जैसे–जैसे ये दोनों धाराएँ एक–दूसरे को काटती हैं, इन दोनों परंपराओं के बीच अंतर और समानता को समझने के लिए वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता है। बढ़ी हुई स्पष्टता हानिकारक मानदंडों और प्रथाओं को संबोधित करने के प्रयासों को बेहतर बनाएगी। इस लेख में, हम सामाजिक और लैंगिक मानदंडों के बीच समानता और अंतर की समीक्षा करते हैं, अवधारणाओं के इतिहास की समीक्षा करते हैं और विरोधाभास के प्रमुख बिंदुओं की पहचान करते हैं। हमने तुलना के छह क्षेत्रों की पहचान की है जो वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले चिकित्सकों के लिए सामाजिक और लैंगिक मानदंडों को समझने में सहायक हो सकते हैं।

सामाजिक मानदंडों के सिद्धांतकारों का वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रारंभिक प्रवेश नारीवादियों, लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों और महिला स्वास्थ्य अधिवक्ताओं द्वारा 'अन्यायपूर्ण लैंगिक मानदंडों' के रूप में वर्णित मुद्दों को संबोधित करने के दीर्घकालिक प्रयासों के समानांतर हुआ। यह भाषा 1980 और 1990 के दशक में महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने, कठोर लैंगिक मानदंडों को बदलने और लैंगिक समानता प्राप्त करने की व्यापक वैश्विक परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित हुई, जैसा कि काहिरा कार्य योजना और बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन से उभरे कार्य मंच में उल्लिखित वैश्विक प्रतिबद्धताओं में बताया गया है।

लैंगिक समानता और स्वास्थ्य के लिए अंतर–सैद्धांतिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, लैंगिक समानता और सामाजिक मनोविज्ञान साहित्य से प्राप्त मानदंडों की समझ में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। अधिक स्पष्टता से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य संवर्धन अभ्यास में अंतर– अनुशासनात्मक समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक सामान्य भाषा और समझ सामाजिक मनोविज्ञान दृष्टिकोण से अधिक परिचित चिकित्सकों को शक्ति संबंधी चिंताओं को अपने कार्य में एकीकृत करने में सहायता करेगी। ऐसा करने से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संबंध नए सकारात्मक मानदंडों को अपनाने को कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे अंततः अधिक प्रभावी स्वास्थ्य संवर्धन हस्तक्षेपों को सुगम बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार, लैंगिक विशेषज्ञ सामाजिक मानदंडों के सिद्धांत से एक नई समझ विकसित करने से लाभान्वित हो सकते हैं कि किसी दिए गए समूह में किन कार्यों को स्वीकार्य माना जाता है, इस बारे में लोगों की मान्यताओं को कैसे बदला जाए, जिससे प्रभावी हस्तक्षेप रणनीतियों के टूलकिट का विस्तार हो सकता है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें। लैंगिक असमानता, पितृसत्तात्मक सोच, सुरक्षा की कमी और शिक्षा व संसाधनों तक सीमित पहुंच मुख्य चुनौतियां हैं। इसके लिए शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कानूनी अधिकार और लैंगिक संवेदनशीलता रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही ईश्वर की अमूल्य कृतियों में से एक है ईश्वर की दो आंखों के समान है ईश्वर कृत सृष्टि के संचालन में नारी की अहम भूमिका है किंतु भारत में आदिकाल से ही स्त्रियों को परिवार व समाज में, प्रत्येक दृष्टिकोण से तुच्छ ही माना जाता है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाले के अनुसार, "पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था हैं, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैं, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।" पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों, से प्राप्त की हैं। प्राचीन भारतीय हिन्दू कानून के निर्माता मनु के अनुसार, "ऐसा माना जाता हैं कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं हैं।" लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसके पिता के घर को छोड़कर पति के घर जाना पड़ेगा इसलिए, अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल माँग की शर्तों को पूरा करने में लड़कियां सक्षम हो जाती हैं, वहीं प्रत्येक साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। हमारे समाज के विकास के लिये लैंगिक समानता अति आवश्यक। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार है। समाज में लैंगिक असमानता सोच–समझ कर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के

स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। इस लेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक अंतर (Gender Gap) एक गंभीर और बहुआयामी समस्या है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और सामाजिक स्थिति को सीधे प्रभावित करती है। 2026 के परिदृश्य में, हालांकि सरकारी पहलों के कारण सुधार हो रहा है, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच और गरीबी अभी भी बड़ी बाधाएं हैं।

शिक्षा हमेशा से आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव रही है और 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह अनिवार्य होगी। शिक्षा कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे संज्ञानात्मक सोच, सकारात्मक विचार प्रणाली आदि। यह समाज में खुशहाली लाती है। महिलाओं की शिक्षा न केवल सामाजिक न्याय के लिए बल्कि सामाजिक परिवर्तन को गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। साक्षरता स्तर और शैक्षिक उपलब्धि किसी भी समाज के विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हैं और हम ग्रामीण महिलाओं को किसी भी समाज के विकास से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वे समाज की प्रगति और अर्थव्यवस्था में समान रूप से योगदान देती हैं। बिहार में पिछले दशक (2004–14) में शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में शैक्षिक सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहे हैं। 2001–11 के दौरान बिहार में महिला साक्षरता दर में 20 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, जो उस अवधि में भारत के किसी भी राज्य द्वारा हासिल की गई सबसे अधिक वृद्धि थी। हालांकि बढ़ती साक्षरता दर कुछ सकारात्मक परिणाम दिखा रही है, फिर भी साक्षरता को एक शिक्षित समाज का एकमात्र संकेत नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, बिहार में शिक्षा दर में शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच व्यापक अंतर है (शहरी महिला साक्षरता 72.6% और ग्रामीण महिला साक्षरता 49.6%), साथ ही पुरुष और महिला जनसंख्या के बीच भी यही अंतर है।

भारत में लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही पुराना है, जो देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित है। प्राचीन ग्रंथो और परंपराओं में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका को अक्सर देखभाल करने वाली बेटियों, पत्नियों और माता के रूप में सीमित रही। बाल विवाह, जहां कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और दहेज, जहां दुल्हन के परिवार को दूल्हे के परिवार को पर्याप्त उपहार प्रदान करने होते थे, जैसी प्रथाओं ने महिलाओं को अपने अधिकारों वाले व्यक्तियों के बजाय आश्रितों के रूप में समीकरण को प्रतिबंबित किया। बौद्ध और जैन काल में महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला, जिससे उन्हें धार्मिक मान्यताएं मिली, परंतु उनकी स्थिति पुरुष भिक्षुओं की तुलना में अधीनस्थ ही रही।

समाज में पितृसत्तात्मक उत्पीड़न की सबसे चरम अभिव्यक्तियों में से एक सती प्रथा थी, जहां विधवाओं से अपेक्षा की जाती थी और उन्हें अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता था। भारत के पूरे इतिहास में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग–चयनात्मक गर्भपात भी प्रचलित रहे हैं, जो पुरुष बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक प्राथमिकता को दर्शाते हैं। महिलाओं को व्यवस्थित रूप से शिक्षा से वंचित किया जाता था। अक्सर कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और परिवार और समुदाय में निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता था। 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के आगमन ने महिलाओं की भूमिकाओं की धारणा में कुछ बदलाव लाए। औपनिवेशिक काल में राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा की नींव पड़ी। 1929 के बाल विवाह प्रतिबंधा अधिनियम जैसे कानून के माध्यम से विवाह के लिए न्यूनतम आयु भी बढ़ाई गई थी।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विधि परिवर्तन किये गए। 1950 में अपने गए भारतीय संविधान ने अपने मौलिक अधिकारों में लैंगिक समानता को सुनिश्चित किया, जिसमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसरों का वादा किया गया। स्वतंत्र भारत के समाधान (1950) में समानता, स्वतंत्रता और अवसरों के अधिकार सुनिश्चित किए तथा 73वें 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया। महिलाओं को मतदान करने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया गया था जो राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में एक औपचारिक बदलाव को चिन्हित करता है। हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और दहेज निषेध अधिनियम (1961) जैसे बाद के कानून ने बाल विवाह और दहेज जैसी प्रतिगामी प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। इन सुधारो के बावजूद पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और गहरी जड़ वाले सांस्कृतिक मानदंडों की दृढ़ता का मतलब था कि लैंगिक असमानता विभिन्न रूपों में पनपती

रही। सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई, और आज भी भारत में लैंगिक समानता के लिए संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।

निष्कर्ष: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तकनीकी कौशल और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना आवश्यक है। सरकारी पहलों के साथ–साथ सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है।

हालांकि भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। समकालीन भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो उनके हाशिए पर बने रहने को जारी रखती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कानूनी सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक मानदंडों में बदलाव को जोड़ता है। इन सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही भारत वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करने और अपनी महिलाओं की पूरी क्षमता को उजागर करने की उम्मीद कर सकता है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. सेन, अमर्त्य (2000), विकास के रूप में स्वतंत्रता।
2. शुक्ला, मीना (2008), बौद्ध धर्म और महिला : भारतीय प्रकाशन।
3. अग्रवाल, मधु (2013), भारत में महिला सुधार आंदोलन, जयपुर : शारदा प्रकाशन।
4. पांडेय, अशोक (2016), भारतीय संविधान और महिला अधिकार दिल्ली : यूनिवर्सल प्रकाशन।
5. सिंह, उषा (2011) भारतीय समाज में नारी हिंसा, वाराणसी : भारतीय बुक डिपो।
6. त्रिपाठी, मीना (2012), ग्रामीण भारत में महिला और श्रम, लखनऊरू लोकभारती प्रकाशन।
7. गुप्ता, राधा (2015) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं, नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन।
8. शर्मा, कुसुम (2013), भारतीय नारी और आधुनिक चुनौतियां, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
9. सिंह, माया (2015) भारतीय महिला और सामाजिक संरचना, वाराणसी : भारतीय पुस्तक भंडार।
10. मिश्रा, नीलम (2016), भारतीय महिला संघर्ष और उपलब्धियां, जयपुर : राजस्थान प्रकाशन।
11. चौधरी, कुमुद (2010), भारतीय समाज और नारी उत्थान, दिल्ली : ज्ञान गंगा प्रकाशन।

Cite this Article-

'शीलु कुमारी', "सामाजिक मानदंड महिलाओं की स्थिति और प्रतिस्पर्धा में लैंगिक अन्तरः बिहार के ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:08, August 2025.

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i800022

Published Date- 11 August 2025